न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
146/2024	19.12.2024	16/4/26

भरतलाल पुत्र रामदेव, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. रामनरी पत्नी संतोष, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. प्रेम पुत्री हरिया पत्नी रामकेश, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. बिरमा पुत्री हरिया पत्नी मोहरसिंह, मीना निवासी मीनाओं का पुरा,नादौती
4. श्रीलाल पुत्र रामदेव, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर —— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से
श्री हरिशंकर शर्मा, एड. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईखुर्द में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं काश्तकारी की भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 स्थित है। प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की, उत्तर दिशा की ओर भी अप्रार्थी संख्या 1 की तथा भूमि ख0न0 5212 की सीमा जिसे नजरी नक्शे लाल रंग से दर्शाया गया है अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि है। अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 से लगती हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मे भूमि की सीमाओं को लेकर आपस मे विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का दिनांक 06.06.2022 का सीमाज्ञान करवा लिया है लेकिन अप्रार्थीगण ने भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद करना प्रारम्भ कर दिया तथा धमकी दी कि हम सीमाचिन्हो को नही मानते है। जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेई[illegible] सीमाये जिन्हे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है की [illegible] पत्थरगढी पुलिस सहायता से करवाये जाने के आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 6.6.2022 को सीमाज्ञान अप्रार्थी की गैर मौजूदगी मे पटवारी हल्का व गिरदावर की मिली भगत से करवाया है तथा प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी को भूमि की पत्थरगढी हेतु नही कहा था। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थी की उपस्थिति मे करवाया जाने मे अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। यदि अप्रार्थी की भूमि मे से प्रार्थी की भूमि निकलती है तो अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि छोडने को तैयार है तथा प्रार्थी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार ही अप्रार्थी की भूमि ख0न0 6514/5916, 5218 का भी सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश भी दिये जावे। दोनो के सीमाचिन्ह अलग अलग रहेगें। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2076–79 खाता संख्या 344, 788, 683, 830, 685 ग्राम उदेईखुर्द, सीमाज्ञान रिपोर्ट 06.06.2022 प्रस्तुत किये है।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपने पत्रांक भूअ/2026/259 दिनांक 06.03.26 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 6.6.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेईखुर्द का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडोसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेईखुर्द की पत्थरगढी करवाये जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि

वह पडौसी खातेदारों की उपस्थिति मे प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 5215 रकबा 0.27 है0, ख0न0 5216 रकबा 0.10 है0 ग्राम उदेईखुर्द पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 16:35:08 IST
Reason: SelfAttested